उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।

परिपत्र सं0: सी-04 /लेखा/ब्याज दर/2024–25 दिनांक 15/04/24

समस्त वरिष्ठ/शाखा प्रबन्धक,
उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0
उत्तर प्रदेश।

विषय– सावधि जमा पर ब्याज दरों में संशोधन।

बैंक के परिपत्र संख्या सी–40/लेखा–1/2022–23, दिनांक 15.12.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा सावधि जमा निक्षेप पर देय ब्याज दरों हेतु दिशा–निर्देश जारी किये गये है।

सावधि जमा पर अन्य व्यवसायिक/सहकारी बैंको की ब्याज दरों के तुलनात्मक तथा बैंक की वित्तीय तरलता को दृष्टिगत रखते हुये बैंक की सावधि जमा योजना मे परिपत्र जारी होने की तिथि से अथवा इसके पश्चात जमा व नवीनीकृत होने वाली सभी प्रकार की अवधि मे किये जाने वाली सावधि जमा निक्षेपो पर संशोधनोपरान्त देय ब्याज दर निम्नवत निर्धारित की जाती है:–

अवधि	ब्याज दरें
1 वर्ष की अवधि	7.00
1 वर्ष से अधिक किन्तु 3 वर्ष से कम अवधि	7.00
3 वर्ष से लेकर 5 वर्ष से कम की अवधि	6.75
5 वर्ष अथवा इससे अधिक अवधि हेतु	6.75

नोट:– क–वरिष्ठ नागरिको को उक्त ब्याज दरों से 0.5 प्रतिशत अधिक ब्याज दर का लाभ दिया जायेगा।

ख–एक वर्ष से पूर्व परिपक्वतापूर्व निकासी की दशा में निम्नतालिका के अनुसार ब्याज दरें लागू होगी:–

अवधि	ब्याज दरें
7 दिन से 45 दिन तक	2.0 प्रतिशत
46 दिन से 179 दिन तक	3.5 प्रतिशत
180 दिन से 210 दिन तक	4.25 प्रतिशत
211 दिन से एक वर्ष से कम	4.75 प्रतिशत

ग–एक वर्ष या उससे अधिक अवधि की सावधि जमा का परिपक्वतापूर्व भुगतान करते समय निर्धारित ब्याज दर से 1.0 प्रतिशत की कटौती करते हुए भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।

पूर्व में निर्गत अन्य दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

(शशि रंजन कुमार राव),
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिकारीगण, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ।
3. प्राचार्य/उप महाप्रबन्धक, उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास लि0, प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ।
4. प्रबन्धक (आई0टी0सेल), उ0प्र0 सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ को ई–मेल पर अपलोड करने हेतु।

प्रबन्ध निदेशक